न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(पाक्सो) एक्ट, संत कबीर नगर।

परिवाद संख्या–36/2020

(CNR–UPSK010008742020)

प्रियंका बनाम मनोरमा आदि

02.11.2020:–

पत्रावली आज आदेशार्थ पेश हुई। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में तलबी के प्रश्न पर सुना जा चुका है।

परिवादिनी प्रियंका द्वारा न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा–156(3) दं०प्र०सं० पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 11.06.2020 के द्वारा प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया है।

परिवादिनी ने परिवाद पत्र में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि वह वाद पत्र में दिये गये पते की निवासिनी है, उसकी ननद मीना पुत्री रामबेचन जिसकी उम्र 16 वर्ष है दिनांक 10.05.2019 को रात्रि लगभग 08 बजे उसके गांव के ही मनोरमा देवी पत्नी किशोर यादव, उम्र लगभग 30 वर्ष उसके घर से उसकी ननद मीना को लेकर शौच के बहाने गांव के बाहर एक बाग में ले गयी। वहां पर पहले से मनोरमा के बुलाये हुए उसके गांव का पप्पू यादव और शत्रुधन उर्फ धुन्ने निवासीगण नौगो, थाना मेंहदावल, और एक व्यक्ति अज्ञात जिसका नाम पता नहीं जानती चेहरा देखकर पहचान सकती है, मौजूद थे। मनोरमा ने कहा कि लो तुम लोगों के कहने पर वह इसे ले आई अब आप अपना काम कर लो, वह जा रही है। यह कहकर मनोरमा उसकी ननद को छोड़कर चली आई। उपरोक्त तीनों लोगों के पास चाकू था, तीनों ने कहा अगर शोर मचाओगी तो जान से मार डालेंगे। उसकी ननद बहुत घबड़ा गई उसके बाद तीनों ने बारी–बारी से जबरदस्ती बलात्कार किया और इस बात की धमकी दिये कि किसी को बताएगी तो उसे और उसके परिवार को जान से मार कर फेंक देंगे। परिवार की जान की सुरक्षा देख व बदनामी के भय से उसकी ननद घटना के बारे में किसी को नहीं बताई। इसी बीच दिनांक 17.05.2019 को गांव में दो व्यक्तियों की हत्या हो गयी जिसमें उसकी ननद और उनके माता–पिता और भाईयों को फर्जी तरीके से झूठे आरोपों में जेल भेजवा दिये। जेल से आने के बाद मेडिकल परीक्षण में पता चला कि उसकी ननद गर्भवती है जिसका रिपोर्ट आया। घटना के बावत उसकी ननद अपनी मां को बतायी और मुलाकात के सिलसिले में उसे भी उसकी ननद मीना ने बतायी कि उपरोक्त लोग जबरदस्ती बलात्कार किये है। उसे उक्त घटना की जानकारी होने पर उसने उक्त घटना की सूचना थाने पर दी, थाने से कोई कार्यवाही नहीं हुई। थाने पर कार्यवाही न होने पर उसने उक्त घटना के बावत रजिस्ट्री प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर को दिया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।

परिवादिनी ने अपने कथन के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में पुलिस अधीक्षक को प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि, पुलिस अधीक्षक,क्षेत्राधिकारी मेंहदावल,पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती आदि को प्रेषित रजिस्टर्ड डाक की रसीद,पीड़िता के जन्मतिथि के संबंध में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति,पीड़िता के गर्भ से संबंधित जाँच की छायाप्रति, जिला महिला चिकित्सालय बस्ती द्वारा प्रदत्त डिस्चार्ज स्लिप की छायाप्रति जिसमें मीना के जन्मे बच्ची का विवरण दिनांक 22.01.2020 तथा पीड़िता से जन्मी बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं मौखिक साक्ष्य के रूप में अन्तर्गत धारा–200 दं०प्र०सं० के तहत स्वयं को तथा अन्तर्गत धारा–202 दं०प्र०सं० के तहत साक्षीगण पी०डब्लू० 1 मीना एवं पी०डब्लू० 2 प्रमिला को परीक्षित कराया गया है।

परिवादिनी पक्ष से, अन्तर्गत धारा–200 दं०प्र०सं० के तहत परीक्षित साक्षी प्रियंका एवं अन्तर्गत धारा–202 दं०प्र०सं० के तहत परीक्षित साक्षी पी०डब्लू० 1 मीना एवं पी०डब्लू० 2 प्रमिला ने परिवाद पत्र में किये गये कथनों का समर्थन किया है। पीड़िता का जेल में रहने के दौरान दिनांक 09.09.2019 एवं

Digitally signed by Rakesh Pandey
Date: 2020.11.02 17:16:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

11.09.2019 को तबीयत खराब होने पर जिला चिकित्सालय बस्ती में चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट कागज संख्या 11ख/6 के अनुसार पीड़िता के गर्भ में (18 Wk alive foetus) पाया गया। पीड़िता ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में प्राप्त जमानत के आधार पर रिहा होने के पश्चात दिनांक 22.01.2020 को एक पुत्री को जन्म दिया। पीड़िता की जन्मतिथि के बावत "सुरेश मिश्र शिशु विद्यालय सौरहा,संतकबीरनगर द्वारा जारी स्थानान्तरण प्रमाण पत्र दाखिल किया गया है जिमसें पीड़िता की जन्मतिथि 01.07.2003 अंकित है। कथित घटना दिनांक 10.05.2019 को होना कही गयी है। शैक्षणिक अभिलेख के अनुसार प्रथमदृष्टया पीड़िता की उम्र कथित घटना की तिथि पर 18 वर्ष से कम होना पायी जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य से विपक्षीगण पप्पू यादव एवं शत्रुधन उर्फ धुन्ने के विरूद्ध प्रथमदृष्टया अन्तर्गत धारा–376D,506 भा०दं०वि० व 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम तथा अभियुक्ता मनोरमा के विरूद्ध धारा–376D/109 भा०दं०वि० एवं धारा–6 सपठित धारा–17 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध कारित किया जाना बनता प्रतीत होता है। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्यों से अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य कोई अपराध बनता प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियुक्तगण पप्पू यादव एवं शत्रुधन उर्फ धुन्ने के विरूद्ध अन्तर्गत धारा –376D, 506 भा०दं०वि० व 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम तथा अभियुक्ता मनोरमा के विरूद्ध धारा–376D/109 भा०दं०वि० एवं धारा–6 सपठित धारा–17 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अपराध के विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण पप्पू यादव एवं शत्रुधन उर्फ धुन्ने को अन्तर्गत धारा– 376D,506 भा०दं०वि० व 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम तथा अभियुक्ता मनोरमा के विरूद्ध धारा –376D/109 भा०दं०वि० एवं धारा–6 सपठित धारा–17 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अपराध में विचारण हेतु तलब किये जाते हैं। परिवादिनी सम्मन हेतु आवश्यक पैरवी अविलम्ब करें। पत्रावली वास्ते हाजिरी/अग्रिम कार्यवाही दिनांक–02.12.2020 को पेश हो।

दिनांक–02.11.2020
चक्रधर कुमार/-

(राकेश पाण्डेय)
[J.O. CODE–UP2397]
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(पाक्सो),
संतकबीरनगर।